

कार्यालय/न्यायालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार जिला धार म0प्र0

क्रमांक-01/2026

धार, दिनांक-06/11/2026

// रिमांड ड्यूटी आदेश //

मैं नताशा शेख पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार म0प्र0 माह 05 जनवरी 2026 से दिनांक 31 जनवरी 2026 तक के अवकाश के दिनों में जिला धार की विभिन्न तहसीलों पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट की निम्नानुसार रिमांड ड्यूटी नियत करती हूँ। कॉलम नं.1 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट, कॉलम नंबर-2 में उल्लेखित अवकाश के दिनों में दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक अपने न्यायालय कक्ष में बैठकर निम्नानुसार वर्णित तारीखों को रिमांड ड्यूटी संपादित करेंगे :-

तहसील-सरदारपुर

कॉलम क्रमांक-1	कॉलम क्रमांक-2 05 जन, 2026 से 31 जनवरी 2026 तक
श्रीमति कमला गौतम, जे.एम.एफ.सी.	26
श्रीमति उर्मिला खेड़कर, जे.एम.एफ.सी.	25
सुश्री रुही एजाज मेव, जे.एम.एफ.सी.	11 व 18

तहसील-बदनावर

कॉलम क्रमांक-1	कॉलम क्रमांक-2 05 जन, 2026 से 31 जनवरी 2026 तक
सुश्री जसविता शुक्ला, जे.एम.एफ.सी.	18
श्रीमती सीमा धाकड़, जे.एम.एफ.सी.	25
सुश्री पलक प्रजापति, जे.एम.एफ.सी.	11 व 26

तहसील-धरमपुरी

कॉलम क्रमांक-1	कॉलम क्रमांक-2 05 जन, 2026 से 31 जनवरी 2026 तक
श्री विवेक जैन, जे.एम.एफ.सी.	25
श्री श्रीकृष्ण बरार, जे.एम.एफ.सी.	11 व 26
श्रीमति अपेक्षा यादव, जे.एम.एफ.सी.	18

तहसील-मनावर

कॉलम क्रमांक-1	कॉलम क्रमांक-2 05 जन, 2026 से 31 जनवरी 2026 तक
श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, जे.एम.एफ.सी.	11
श्री अभिषेक सोनी (जूनि.) जे.एम.एफ.सी.	18 व 25
श्री कृष्णा वोहरा, जे.एम.एफ.सी.	26

तहसील-कृष्णी

कॉलम क्रमांक-1	कॉलम क्रमांक-2
	05 जन, 2026 से 31 जनवरी 2026 तक
श्री सचिन कुमार जाधव, जे.एम.एफ.सी.	---
श्री हर्षराज दुबे, जे.एम.एफ.सी.	11, 18, 25 व 26

नोट:-

1. अपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थिति में रिमांड ड्यूटी में परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
2. अपवादिक परिस्थितियों में मजिस्ट्रेटगण रिमांड ड्यूटी परिवर्तन हेतु साथी न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित सहमति प्राप्त कर समायोजन की सूचना मेरी ओर प्रेषित करेंगे।
3. उपरोक्त में से किसी न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण हो जाता है और वह पदभार मुक्त हो जाते हैं अथवा कोई न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण में जाते हैं तो उनके स्थान पर रिमांड ड्यूटी अन्य किसी भी पदस्थ न्यायिक अधिकारी की लगाई जा सकेगी।
4. अन्य कोई विशेष अवकाश होने पर एवं ऐसा कोई अवकाश जो उपरोक्त सूची में सम्मिलित न हो, उस दिन श्रीमति उर्मिला खेड़कर/श्रीमति सीमा धाकड़/श्री कृष्ण बरार/श्री कृष्णा वोहरा/श्री सचिन कुमार जाधव, जे.एम.एफ.सी. द्वारा उनकी स्थापना पर रिमांड ड्यूटी संपादित की जावेगी।
5. यदि किसी अपरिहार्य कारणवश नियत दिनांक को रिमांड ड्यूटी पर न्यायिक अधिकारी अनुपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में रिमांड ड्यूटी मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक अधिकारी की नियत की जावेगी।
6. सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग धार की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा सभी न्यायाधीशगण को आज ही भेजना तथा वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(नताशा शेख पटेल)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धार जिला धार (म.प्र.)

पृ.क्रं-02...../2026

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, धार की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 2- श्रीमती कमला गौतम जे.एफ.एफ.सी., सरदारपुर, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 3- श्रीमती उर्मिला खेड़कर, जे.एफ.एफ.सी., सरदारपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 4- सुश्री रुही एजाज मेव, जे.एम.एफ.सी. सरदारपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 5- सुश्री जसविता शुक्ला, जे.एम.एफ.सी. बदनावर, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 6- श्रीमती सीमा धाकड़, जे.एम.एफ.सी. बदनावर, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

धार, दिनांक-06.01.2026

- 7— सुश्री पलक प्रजापति, जे.एम.एफ.सी. बदनावर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 8— श्री विवेक जैन, जे.एम.एफ.सी. धरमपुरी, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 9— श्री श्रीकृष्ण बरार, जे.एम.एफ.सी. धरमपुरी, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 10— श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, जे.एम.एफ.सी. मनावर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 11— श्री अभिषेक सोनी (जूनि.), जे.एम.एफ.सी. मनावर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 12— श्री कृष्णा वोहरा, जे.एम.एफ.सी. मनावर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 13— सुश्री रूही अजाज मेव, जे.एम.एफ.सी. सरदारपुर, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 14— श्री सचिन कुमार जाधव, जे.एम.एफ.सी., कुक्षी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 15— श्री हर्षराज दुबे, जे.एम.एफ.सी., कुक्षी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 16— श्रीमती श्रीमति उर्मिला खेड़कर, जे.एम.एफ.सी. सरदारपुर, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 17— उपसंचालक, लोक अभियोजन धार की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे रिमांड ड्यूटी के दौरान तहसील न्यायालयों में ए.डी.पी.ओ. को उपस्थित रहने हेतु संबंधित ए.डी.पी.ओ. को आदेश की कॉपी भिजवाने का कष्ट करें।
- 18— अभिभाषक संघ, सरदारपुर/बदनावर/धरमपुरी/मनावर/कुक्षी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 19— पुलिस अधीक्षक, धार की ओर समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित करने के लिये कि उक्त सार्वजनिक अवकाश के दिन न्यायालय भवन में शाम 3:00 बजे से 5:00 बजे तक रिमांड ड्यूटी की जावेगी। अतः उक्त समयावधि में ही रिमांड कार्यवाही प्रस्तुत करें।
- 20— सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग धार की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा सभी न्यायाधीशगण को आज ही भेजना सुनिश्चित करें।


(नताशा शेख पटेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धार जिला धार (म.प्र.)